



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

EA 599499

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, प्रथम पक्ष एवं मेसर्स राज दूर एण्ड ट्रेवल्स, वॉटर वर्क्स रोड, बदायूँ (सेवाप्रदाता एजेंसी आर०के०एस०के०/मॉनिटरिंग वाहन की सेवायें) "द्वितीय पक्ष" के मध्य अनुबन्ध

अनुबन्ध-पत्र संख्या.....

दिनांक

यह अनुबन्ध "प्रथम पक्ष" के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति /संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जनपद बरेली।
एवं

"द्वितीय पक्ष" के मेसर्स राज दूर एण्ड ट्रेवल्स, वॉटर वर्क्स रोड, बदायूँ के मध्य किया जा रहा है।

हम दोनों पक्ष निम्नलिखित, नियम व शर्तों के अधीन यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हैं-

1. यह कि द्वितीय पक्ष को उसके द्वारा निविदा में डाली गयी दरों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बिलों से नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष कार्यालय के निर्देशानुसार टैक्सी परमिट वाहनों की आपूर्ति जनपद के समक्ष सामु0 एवं प्रा0स्वा0केन्द्रों पर एवं जनपद स्तरों पर करेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन अचानक खराब होती है तो उसके स्थान पर दूसरी टैक्सी परमिट वाहन तत्काल उपलब्ध करायेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रतिवाहन प्रतिमाह रु0 29333.70/- का भुगतान नियमानुसार करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन माह में कम से कम 1000 कि०मी० प्रयोग में लाया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष से प्राप्त की जा रही सेवायें यदि जैम पोर्टल (Govt.E.Marketing) पर उपलब्ध होती है, तो यह सेवायें प्रथम पक्ष जैम पोर्टल से भी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिये द्वितीय पक्ष का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

राज दूर एण्ड ट्रेवल्स
वाटर वर्क्स रोड; बदायूँ
मो०-9837120426

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बरेली (उ०प्र०)

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन पर जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है तथा अनुबन्ध नियमानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त भी किया जा सकता है।
 9. किसी भी परिवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बरेली मान्य होगा।
 10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा के साथ उलबध कराये गये कोई भी प्रपत्र/शपथ पत्र/घोषणा-पत्र फर्जी पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किये जाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा और फर्म को पाँच वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।
 11. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध पत्र समाप्त होने के उपरान्त जमानत धनराशि उसी दशा में वापस की जायेगी जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह निश्चित कर लिया जायेगा कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष प्राप्त भुगतानों में कोई त्रुटि या अनुबन्ध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
 12. यह कि द्वितीय पक्ष विभाग से बजट की अनउपलब्धता के कारण भुगतान में विलम्ब होने पर भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराता रहेगा।
 13. यह कि द्वितीय पक्ष को अपनी सेवायें नियमानुसार 01.05.2018 से आरम्भ करना अनिवार्य होगा।
 14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा ई-निविदा साइट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
 15. यह कि द्वितीय एवं प्रथम पक्ष के मध्य किया गया यह अनुबन्ध 31.03.2020 तक मान्य रहेगा इसके उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार अनुबन्ध की अवधि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्तें स्वीकार है तथा पूर्ण विवेक से सोच-समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर.....R.....

द्वितीय पक्ष अनुबन्धित सेवा प्रदाता ऐंजसी

नाम.....

पता.....**राज टूर एण्ड ट्रेवल्स**

.....**वाटर वर्क्स रोड; बदायूँ**
मो0नं0.....**मो0-9837120426**

हस्ताक्षर.....[Signature].....

प्रथम पक्ष

संयोजक, **चिकित्सा अधिकारी**
संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति
बरेली (उत्तर)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

जनपद.....

गवाह के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1.....Rahul.....**25-03-18**

नाम.....**Rahul Rathore**

पता.....**44 civil lines**

.....**Bareilly (UP)**

मो0नं0.....**9837327306**

2.....[Signature].....

नाम.....**प्रताप सिंह**

पता.....**A1273 Avasth V Kargalaw**

.....**Budawan**

मो0नं0.....**94100 20424**

Supportive Supervision Vehicle Hiring -Block wise Information 2018-19

S.No.	Name of Division	Name of District	Block name	Vehicle No.	Taxy Permit No.	Date of Hiring	Agreement Copy Attach
1	Bareilly	Bareilly	Bhamora	UP25BT4264	UP/25/102/AITP/2014/166	01-06-2018	Yes
2	Bareilly	Bareilly	Bhojipura	UP25BK4650	UP/25/102/AITP/2016/148	01-06-2018	Yes
3	Bareilly	Bareilly	Majhgawan	UP25BK0627	UP/25/102/AITP/2017/141	01-06-2018	Yes
4	Bareilly	Bareilly	Kyara	UP25CT6678	UP/25/102/AITP/2018/42	01-06-2018	Yes
5	Bareilly	Bareilly	Ramnagar	UP25CE7028	UP/25/CC/MOTO/2018/104	01-06-2018	Yes
6	Bareilly	Bareilly	Meerganj	UP25BT9778	UP/25/102/AITP/2016/109	01-06-2018	Yes
7	Bareilly	Bareilly	Shergarh	UP14ET6384	UP/14/102/AITP/2015/7376	01-06-2018	Yes
8	Bareilly	Bareilly	Baherhi	UP25CT7857	UP/25/CC/MOTO/2018/124	01-06-2018	Yes
9	Bareilly	Bareilly	Mudiya Navi	UP16BT9523	UP/25/CC/MOTO/2018/117	01-06-2018	Yes
10	Bareilly	Bareilly	Dalelnagar	UP25CT1571	UP/25/102/AITP/2017/93	01-06-2018	Yes
11	Bareilly	Bareilly	Nawav ganj	UP25CT4143	UP/25/102/AITP/2017/227	01-06-2018	Yes
12	Bareilly	Bareilly	Bithri Chainpur	UP25CD5183	CC/STA/UP/2018/03425	01-06-2018	Yes
13	Bareilly	Bareilly	Fareedpur	UP24BN1376	UP/25/AITP/2018/84	01-06-2018	Yes
14	Bareilly	Bareilly	Kunadanda	UP25CT2824	UP/25/102/AITP/2017/173	01-06-2018	Yes
15	Bareilly	Bareilly	Fatheganj	UP25CT2760	UP/25/102/AITP/2017/166	01-06-2018	Yes


 Chief Medical officer
 Bareilly

Supportive Supervision Vehicle Hiring -District Level Information 2018-19									
S.No.	Name of District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No-1	Taxy Permit No.	Date of Hiring	Vehicle No-2	Taxy Permit No.	Date of Hiring	Agreement Copy Attach
1	Bareilly	Chief Medical officer Bareilly	UP25CT7222	UP/25/AITP/2018/86	01-06-2018	UP14FT3920	UP/14/102/AITP/2016/10441	01-06-2018	Yes


 Chief Medical officer
 Bareilly



कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जिला चिकित्सालय कैंपस, कुतुबखाना रोड, बरेली।

E-mail : nrhmrch.bareilly@gmail.com / nrhm_bareilly@rediffmail.com

Ph. No.: 0581-2552984



प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ.प्र. लखनऊ।

पत्रांक : एन.एच.एम./सह.पर्य/सूचना/2018-19/

दिनांक 13.08.2018

विषय- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत टैक्सी परमिट वाहनों के सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्डई.
/2018-19/01/3885-75 दिनांक 17.07.2018 के अनुपालन में आपके द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ० विनीत कुमार शुक्ल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

दिनांक 13.08.2018

पत्रांक : एन.एच.एम./सह.पर्य/सूचना/2018-19/893

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र. लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ.प्र. लखनऊ।
4. जिला अधिकारी, बरेली।
5. मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., बरेली।

(डॉ० विनीत कुमार शुक्ल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।



कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जिला चिकित्सालय कैंपस, कृतुबखाना रोड, बरेली।

E-mail : nrhmrch.bareilly@gmail.com / nrhm_bareilly@rediffmail.com

Ph. No.: 0581-2552984



प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ.प्र. लखनऊ।

पत्राक : एन.एच.एम./सह.पर्य/सूचना/2018-19/893

दिनांक 13.08.2018

विषय- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत टैक्सी परमिट वाहनों के सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्डई.
/2018-19/01/3885-75 दिनांक 17.07.2018 के अनुपालन में आपके द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ० विनीत कुमार शुक्ल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

दिनांक 13.08.2018

पत्राक : एन.एच.एम./सह.पर्य/सूचना/2018-19/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र. लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ.प्र. लखनऊ।
4. जिला अधिकारी, बरेली।
5. मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., बरेली।

(डॉ० विनीत कुमार शुक्ल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

एस० पी० एम० यू० एन० एच० एम०
पत्रांक-759 दिनांक-09/10/18

Email 871

290

16



प्रेषक,

अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वा० एवं परिवार कल्याण,
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
एन०एच०एम० उ०प्र०
लखनऊ।

संख्या :- अ०नि०/सर्पो०सु०/मण्डल बरेली/वाहन/2018-19/1571 दिनांक-03-10-2018
विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एन०एच०एम० के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु हायर किये गये टेक्सी परमिट वाहनों की सूचना का प्रेषण।

SPM

Gm(ME)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्डई/2018-19/01/6806-75 दिनांक-22.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सम्बोधित है तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है जिसके माध्यम से सर्पोटिव सुपरविजन हेतु मण्डल स्तर पर हायर वाहनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर चाही गई है जो निम्न प्रकार आपको प्रेषित की जा रही है:-

Gm(ME)

11/10/18

Dr. Sudha Goe
SPM, NHM

S.L. NO	Name of Division	Name of Agreement Signing officer	Vehicle no.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Bareilly	Dr. Narendra Kumar (AD Med.Health)	UP25 CV 2905 (supp.sup.)	01-06-18	Attached

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

11/10/18

अपर निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।

संख्या :- अ०नि०/सर्पो०सु०/मण्डल बरेली/वाहन/2018-19/ दिनांक-
प्रतिलिपि- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PC/Shikha

12/10/18

Dr. Anamika Mishra
General Manager (M&)
SPMU, NHM-UP

अपर निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।

Updated



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC/867

03 MAY 2018

अनुबंध पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क० बरेली मण्डल, बरेली/सहअध्यक्ष स्वास्थ्य समिति प्रथम पक्ष एवं मेसर्स राज दूर एण्ड ट्रेवल्स, वाटर वर्क्स रोड बदायूं (सेवाप्रदाता एजेंसी आर०बी०एस०के०/मानित वाहन की सेवाएँ) द्वितीय पक्ष के मध्य अनुबंध

★ बरेली-11 ★

अनुबंध पत्र सं०.....

दिनांक- 22-5-18

यह अनुबंध "प्रथम पक्ष" के रूप में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क० बरेली मण्डल, बरेली/सहअध्यक्ष स्वास्थ्य समिति बरेली

एवं

"द्वितीय पक्ष" के मेसर्स राज दूर एण्ड ट्रेवल्स, वाटर वर्क्स रोड बदायूं के मध्य किया जा रहा है।

हम दोनों पक्ष निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन यह अनुबंध पत्र निष्पादित करते हैं-

1. यह कि द्वितीय पक्ष को उसके द्वारा निविदा में डाली गई दरों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बिलों से नियमानुसार जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की कटौती की जायेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष कार्यालय के निर्देशानुसार टैक्सी परमिट वाहनों की आपूर्ति मण्डल स्तर पर सर्पोटिव सुपरविजन हेतु मण्डल स्तर पर संचालित एन०एच०एम० के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमों की मानिट्रिंग हेतु इस कार्यालय को करेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई वाहन अचानक खराब होती है तो उसके स्थान पर दूसरी टैक्सी परमिट व तत्काल उपलब्ध करायेंगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह रू०-29333.70/- का भुगतान नियमानुसार करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन माह में कम से कम 1500 किमी प्रयोग में लाया जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष से प्राप्त की जा रही सेवाएँ यदि जैम पोर्टल (Govt.E. marketing) पर उपलब्ध होती है तो यह सेवाएँ प्रथम पक्ष जैम पोर्टल से भी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए द्वितीय पक्ष का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है तथा अनुबंध नियमानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त भी किया जा सकता है।
9. किसी भी परिवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बरेली मान्य होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा के साथ उपलब्ध कराये गये कोई भी पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र फर्जी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा और फर्म को पांच वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष को अनुबंध पत्र समाप्त होने के उपरान्त जमानत धनराशि उसी दशा में वापस की जायेगी जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह निश्चित कर लिया जायेगा कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष प्राप्त भुगतानों में कोई त्रुटि या अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12. यह कि द्वितीय पक्ष विभाग से बजट की अनउपलब्धता के कारण भुगतान में विलम्ब होने पर भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराता रहेगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को अपनी सेवायें नियमानुसार दिनांक-01.06.2018 से आरम्भ करना अनिवार्य होगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा ई-निविदा साइट से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
15. यह कि समस्त आपूर्ति वाहन कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे मय वाहन चालक के उपलब्ध रहेंगे तथा आकस्मिकता पर अवकाश के दिनों में एवं कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में भी वाहन की सेवायें ली जा सकती हैं।
16. यह कि द्वितीय एवं प्रथम पक्ष के मध्य किया गया यह अनुबंध 31.03.2019 तक मान्य रहेगा इसके उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार अनुबंध की अवधि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

दोनों पक्षों को इस अनुबंध पत्र की शर्तें स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच-समझकर हस्ताक्षर किया गया।

हस्ताक्षर.....

द्वितीय पक्ष अनुबंधित सेवाप्रदाता एजेंसी

नाम.....

पता.....

मोबा. 9837327306

गवाह के नाम, हस्ताक्षर व पता

1.

नाम.....

पता.....

मोबा. 9837327306

मोबा. 9837327306

हस्ताक्षर.....

प्रथम पक्ष अपर निदेशक

सहअध्यक्ष चि० स्वा० एवं प० क०

बरेली मण्डल, बरेली

अपर निदेशक, बरेली

2.

नाम.....

पता.....

मोबा. 9759940535

मोबा. 9759940535